

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दोसा (राज.)

मिसल नम्बर 276/18 - तारीख रज 23/01/18 - रिपोर्ट पटवारी हल्का सायपुर बनाम
 श्री किशनलाल पुत्र धन्ना मीना जाति मीना निवासी सायपुर तहसील
मधवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 14/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम मधवा हमारे संमक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री किशनलाल ने ग्राम सायपुर को भूमि ख.न. 186/644 रकबा 0.04 किस्म चरागाह फसल रबि / खसीक संवत 20 74 में मिट्टी कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 186/644 रकबा 0.04 किस्म चरागाह वाले ग्राम सायपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 51647.50 गुणा 32.25 शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल मिट्टी को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को बन्द / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार
तहसील-महवा (दोसा)
तहसीलदार महवा

रजिस्टर गंगा के पेज नं० 53 पर
 वर्ष 2017-18
 की राशि 3225
 की जमा राशि 3225
 दिनांक 5/3/18
Postay
 तहसील राजस्व लेखाकार
 तहसील-महवा